

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-**A** एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छोगो)

ईमेल—[secretaryboc@gmail.com](mailto:secretaryboc@gmail.com), Phone No. 0771-2971063-64

क्रमांक / ८७/०४/योजना/बीओसी/२०२४/ १७२५  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ०५/६/२०२४

कुलपति / राजिस्ट्रार,  
Hemchandra Yadav  
Vishwavidyalayey

**विषयः—** मण्डल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के संबंध में।

संदर्भः— अधिसूचना क्र0 / 75 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / 136. दिनांक  
28.02.2023

.....000.....

विषयांतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संदर्भित पत्र अधिसूचना के माध्यम से “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” संचालित की जा रही है। उक्त योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे— PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मंडल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेल्वे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना प्रावधानित है।

उक्त योजना हेतु इच्छुक श्रमिकों/श्रमिक के पुत्र/पुत्री को स्वयं/नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, मोबाईल एप, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है:-

- प्रशिक्षणार्थी / अभिभावक का जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
  - प्रशिक्षणार्थी के आधार कार्ड की प्रति।
  - प्रशिक्षणार्थी के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र / अंक सूची की प्रति।
  - प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।

अतः उपरोक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विश्वविद्यालय में उक्त योजना की जानकारी नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित करने का कष्ट करें ताकि योजना के उद्देश्य अनुरूप निर्माण श्रमिकों के अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी योग्यता अनुरूप शासकीय सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सविधा उपलब्ध कराई जा सके।

## संलग्न—उपरोक्तानुसार

(सविता मिश्रा)

संग्रह

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर

website  
R  
8/7/24

# छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल— secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक २४ /०२/२०२३

कमांक / 75 / 04 / योजना / बीओसी / 2023 / १३६ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद द्वारा मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” बनाती है :—

(क) योजना का नाम :—

योजना का नाम “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” होगा।

(ख) योजना का उद्देश्य :—

इस योजना का उद्देश्य छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों/दत्तक संतानों जो कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु कोचिंग उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सामाजिक श्रेणीगत परिवर्तन के अवसर उपलब्ध कराना और सशक्त बनाया जाकर समाज की विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। (टीप—संतान से अभिप्राय आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है एवं हितग्राही से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक/पंजीकृत श्रमिक के संतान जो योजनांतर्गत निःशुल्क कोचिंग सहायता योजनांतर्गत शैक्षणिक योग्यता रखता हो)

(ग) योजना का प्रावधान :—

- मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे— PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेल्वे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) के अंतर्गत समय—समय पर जारी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।

निर्वत्र.....

2

- यह सहायता वर्ष में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी, पंजीकृत श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा मंडल अंतर्गत चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदाय नहीं होगा।
- हितग्राही निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 01 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- हितग्राही द्वारा स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
- मंडल द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग हेतु प्रतियोगिता परीक्षावार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप उक्त योजनांतर्गत आवेदन स्वीकृत किया जाकर निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जावेगी।

(घ) योजनांतर्गत देय हितलाभ :-

- योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा।
- लाभार्थियों की कोचिंग सेंटर्स में अथवा ऑनलाईन कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपरिक्त अनिवार्य होगी, यदि वे प्रत्येक माह में 15 दिवस से अधिक अनुपरिक्ति पाये जाते हैं तो वे योजनांतर्गत लाभ से स्वतः हटा दिये जायेंगे।

(ङ.) योजना की पात्रता :-

- मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
- योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
- पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके संतान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता/रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे।
- श्रमिक के बच्चों/प्रशिक्षार्थियों की आयु सीमा निर्धारण हेतु पात्रता छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप हो।

(च) योजना का संचालन :-

- सचिव, ४००० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा ऊची की अभिव्यक्ति का प्रकाशन कर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मंडल स्तर पर पात्र एवं योग्य कोचिंग संस्थानों का चयन कर शासन के अनुमोदन पश्चात् मंडल स्तर पर कार्यादेश जारी किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा द्वारा मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों को शासन के निर्देशवत् प्रशिक्षण संस्थानों को भी चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जावेगी।
- चयनित संस्थाओं द्वारा कक्षाएं ०५ संभागीय मुख्यालयों में ऑफलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा शेष जिलों हेतु ऑनलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- चयनित संस्थान द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु तय मापदण्ड अनुसार काउंसलिंग के आधार पर पात्र अभ्यार्थियों



की सूची तैयार किया जाकर संबंधित क्षेत्राधिकारीता के मैदानी जिला श्रम कार्यालयों को उपलब्ध करावेंगे। जिस आधार पर संबंधित क्षेत्राधिकारीता के स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

5. मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा दैनिक लाइव क्लासेस दी जाएंगी तथा रिकार्ड विडियो उपलब्ध कराए जाएंगे।
6. अध्ययन सामग्री — पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा आवेदित परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुरूप हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराए जाएंगे।
7. शंका समाधान — मासिक शंका समाधान कक्षाएं संभागीय मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी साथ ही दिन में 16 घंटे कॉल सेंटर (समाधान हेतु) की सुविधा उपलब्ध होगी।
8. रुची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कौचिंग संस्थानों का सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त/सचिव छ0ग0 भवन एवं अन्य सञ्चिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा गठित समिति/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा समय—समय पर उपरोक्त संस्थान को निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
2. आवेदक स्वयं/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. छात्र/छात्रा कौचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कौचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
4. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ :-
  - 4.1 हितग्राही की जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
  - 4.2 हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति।
  - 4.3 हितग्राही के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक सूची की प्रति।
  - 4.4 हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति।
- टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जाँच/सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

(ज) स्वीकृति का अधिकार :-

पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति कि जावेगी।

(ज) भुगतान की प्रक्रिया :—

योजनात्मक रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थान को प्रति हितग्राही प्रतियोगिता परीक्षावार निर्धारित दर पर होने वाले का व्यय संबंधित संस्थान को भुगतान किया जावेगा।

(ज) योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—

योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

(ट) योजना का प्रभावशीलन :—

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।  
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

*सचिव*  
(सचिवीं मिश्रा)

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर  
पृष्ठांकन क्र0/75/04/योजना/बीओसी/2023/6924 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 27/02/2024

प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, विद्तीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।
7. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, विद्तीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मण्डल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर (छ0ग0)।
11. समस्त जिला कलेक्टर, ..... (छ0ग0)।

12. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय  
..... (छ0ग0)
13. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय  
..... (छ0ग0)।
14. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर  
उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन  
हेतु।
15. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की  
ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया  
प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा  
रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
17. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने  
बाबत्।
18. गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित  
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना  
के तहत लाभ लेने हेतु  
— स्व घोषणा प्रारूप :—

मैं ..... पिता/पति श्री .....  
ग्राम/वार्ड ..... पोस्ट ..... विकासखण्ड .....  
विधानसभा क्षेत्र ..... नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत .....  
जिला ..... का निवासी हूँ।

मैं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हूँ। मेरा पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है। मैं मेसर्स/श्री/श्रीमती ..... के संस्थान में ..... के रूप में कार्य कर रही/रहा हूँ। इस प्रकार कुल ..... दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही/रहा हूँ।

1. उक्त योजना के तहत (स्वयं/पुत्र/पुत्री) नाम ..... हेतु प्रथम बार आवेदन किया गया है।
2. उक्त योजना के लाभ हेतु मैं स्वयं ..... मेरे पुत्र/पुत्री का नाम ..... योजनांतर्गत निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने हेतु इच्छुक है।
3. मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी (हूँ/नहीं) ..... |
4. वर्तमान में स्वयं/पुत्र/पुत्री की जन्म वर्ष ..... माह ..... दिन ..... |
5. छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिसूचित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/समान्य वर्ग) ..... से है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं स्वयं/पुत्र/पुत्री मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत निर्धारित पात्रता रखता/रखती हूँ। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी/समस्त विवरण सत्य है, किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रदाय जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा मंडल द्वारा उक्त योजना के तहत लाभान्वित राशि की वसूली करते हुए मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक.....

आवेदक/आवेदिका के  
हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम — .....

पता — .....

मोबाइल नं. — .....



# मुख्यमंत्री नियमित प्रारम्भिक सेवा देश

## निःट्रैल कोरिंग साहाय्या प्रोजेक्ट

वर्ष 2023-2024


प्रोजेक्ट

**CGPSC CGVYAPAM रिक्षक भर्ती प्राप्तवाद्य अधीक्षण**  
**R.R.B IBPS SSC POLICE ENTRANCE EXAM**

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- श्रमेव जयते एप्प (Shramev Jayate App) मुफ्त ल्यूप्ले स्टोर से डाउनलोड करें
- भवन एवं अन्य सर्विसों पर फ़िल्टर करें
- योग्याना संसद्यी कार्य पर फ़िल्टर करें, जैसे Scroll करें
- आपको नीचे "मुख्यमंत्री नियमित प्रारम्भिक सेवा देश निःट्रैल कोरिंग सहायता योजना" टिप्पाइ देंगे
- इसे Click करें, आपना जिला चुनें, श्रम विभाग का पंजीयन जॉबर्ट (जो जॉबर्ट श्रमिक को आवंटित है) डालें और आवेदन करें। योग्याना का लाभ उठायें।
- आपने नगदीकी CSC सेंटर से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जल्द ही  
आवेदन करें



Shramev Jayate App



GET IT ON  
Google Play

Helpline Number:-  
0711-3505050